

अनवान सुभाष शर्मा बनाम रणधीर शर्मा

प्रकरण संख्या 05/2023 अन्तर्गत धारा 212 RPA

दिनांक आदेश या कार्यवाही प्रथम हस्ताक्षर जज

29/5/24

अधिवक्तागण उपस्थित। प्राचीन वारिसी का 2/3 प की तलवी हेतु समझौता तलवना पैश हो। अन्तिम अवसर दिनांक 14/1/23 पर पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 31/05/24 को पैश हो।

31/5/24

Note Recd  
अमानसिद्ध  
Adv.

अधिवक्तागण उपस्थित। प्राची अधिवक्ता के द्वारा प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RPA नोटिस किया। प्राची अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची अधिवक्ता द्वारा प्राचीन पत्र 212 RPA नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी विधिवारा दिनांक 14/1/23 श्री निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर गारुड से कम होकर वापिस वफुद हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर